अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23/20	2.05.2022	31/01/23

बउनवान

अयोध्याबाई पत्नि नेमीचन्द जाति मीना निवासी झाडोली तहसील पीपल्दा – वादीनी

बनाम

1– कालीबाई पत्नि स्व.केसरा
2– मोडूलाल पुत्र केसरा
3– रमेंश पुत्र केसरा
4– रामस्वरूप पुत्र केसरा
5– हेमराज पुत्र केसरा जातियान मीना निवासीगण झाडोल तह0 पीपल्दा।
6– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झाडोल पटवार मण्डल गणेशगंज तहसील पीपल्दा की खाता सं. 160 जमाबंदी सम्वत 2075–2078 में खसरा नं. 1100/141 रकबा 0.09 है0 ख.न. 1102/716 रकबा 0.12 है0,ख.न.378 रकबा 0.62 है0,ख.न. 494 रकबा 0.41 है0 ख.न.601 रकबा 0.09है0,ख.न.602 रकबा 1.22 है0ख.न.603 रकबा 1.05 है0,ख.न. 715 रकबा 0.72 है0ख.न.775 रकबा 0.92 है0 ख.न. 775/976 रकबा 0.26 है0 कुल किता 10 रकबा 5.50 है0भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजी में वादीनी का 1/6 हिस्सा है तथा वह अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है उपरोक्त आराजी में वादीनी का नाम जोध्याबाई पत्नि स्व.श्याम दर्ज है जबकि वादनी का नाम अयोध्याबाई व पति का नाम नेमीचंद है। जमाबंदी सलग्न है आगे वाद पत्र में उपरोक्त आराजी को सुविधा की दृष्टि से विवादित आराजी कहा गया है।

विवादित आराजी के अलावा अन्य भूमि ग्राम झाडोल में स्थित थी जिसके संयुक्त खातेदार केशरा पुत्र कल्ला जाति मीना निवासी झाडोल थे, उनकी मृत्यु के बाद विवादग्रस्त आराजी पर वादीनी व प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हुआ तथा बटवारा हुआ। बटवारे में विवादग्रस्त आराजी वादनी व प्रतिवादीगण को विरासतन केसरा जी से प्राप्त हुई।

वादनी के ससुर केसरा की मृत्यु के बाद ग्राम झाडोल में इन्तकांल न. 534 दिनांक 7.12.2010 खोला गया उसमें त्रुटिवश वादनी का नाम जोध्याबाई तथा वादनी के पति का नाम श्याम लिखा गया जबकि वादनी का नाम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अयोध्याबाई तथा उसके पति का नाम नेमीचंन्द था नेमीचन्द की मृत्यु हो चुकी है ओर उनके स्थान पर वादनी का नाम विरासतन दर्ज किया गया।

यह कि वादनी का नाम अयोध्याबाई पत्नी नेमीचन्द है राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने अवैध व गेर कानूनी तरीके से वादनी का नाम इंतकाल नम्बर 534 दिनांक 2.12.2010 खोलते समय जोध्याबाई पत्नी श्याम दर्ज किया जिसकी कोई जानकारी वादनी को नहीं थी, वादनी पर्दानसीन औरत थी, वादनी के हिस्से की भूमि पर उसकी सहमति से वादनी के परिवार वाले विवादग्रस्त आराजी पर काश्त करते थे तथा पति की मृत्यु के वाद वादनकी अपने पीहर में रहने लगी ग्राम झाडोल में उसका आना–जाना कम रहा इसलिए उसे राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध नाम की कोई जानकारी नहीं थी।

वादनी ने दिनांक 17.3.2022 को उसके खाते की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई की वादनी का नाम व उसके पति का नाम विवादग्रस्त आराजी पर गलत लिखा गया है। इस वादनी ने पटवारी हलका से दिनांक 24.3.2022 को नामान्तकरण सं. 534 दिनांक 7.10.2010 की नकल प्राप्त की उसमें वादनी के ससुर केशरा का जो फोती इंतकाल खोला गया उसमें वादनी के पति नेमीचंन्द का नाम श्याम लिख दिया तथा उनके फोत होना दर्शाकर वारिस में वादनी का नाम अयोध्याबाई के स्थान पर जोध्याबाइ दर्ज कर दिया जबकि वादनकी का नाम अयोध्याबाई व पति का नाम नेमीचन्द है वादनी को यचह कानूनी अधिकार हासिल है कि नामान्तरकण संख्या 534 दिनांक 7.10.2010 ग्राम झाडोल में गलत दर्ज किये गये वादनी व उसके पति के नाम को दरुस्त करावे तथा सही नाम दर्ज करवावे वादनी की वोटर आई0डी0आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में अयोध्याबाई पत्नी नेमीचन्द दर्ज है और वादनी के पति की वोटर आई0डी0 व मृत्यु प्रमाण पत्र नेमीचन्द के नाम से है इस अशुद्ध अंकन के कारण वादनी को कृशि ऋण लेने में विधवा पेंशन लेने में सरकारी सहायता प्राप्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादनी के लिए यह आवश्यक है कि वह ववािदग्रस्त आरजी में दर्ज अशुद्ध अंकन को दुरुस्त करावे।

यह कि वादनकी के सहखातेदारान प्रतिवदीगण को वादनी व उसके पति का नाम शुद्ध करवाने में कोई आपत्ति नहीं है उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है वह सहखातेदर होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादीगण के वाद प्रस्तुत करने से कोई हितप्रभावी नहीं हो रहे हैं।

यह कि वादनकी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 24.03.2022 को फोती इंतकाल नम्बर 534 ग्राम झाडोल की नकल प्रापत करने के बाद नाम दुरुस्त करावने को प्रतिवादीगण ने कहा कि अदालत में कार्यवाही करो हमारे पति का नाम करवावे तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अदालत में कार्यवाही करो हमारे कहने पर से कुछ नहीं होगा प्रतिवादी कम 6 ने कहा कि में कुछ नहीं करूंगा रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा अदालत जैसा आदेश देगी हम उसकी पालना कर देंगे इस कारण वादनी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान् की सहायता से अपना नाम दुरुस्त करावे तथा विवादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम के स्थान पर अयोध्याबाई पत्नी दर्ज करवाने की घोशण करवावे इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

यह कि प्रतिवादी कम 6 लैण्ड होल्डर है उसके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है इसलिए उसे 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है उसे मात्र न्यायालय के आदेश की पालना करनी है।

यह कारण दिनांक 17.03.2022 को नकल प्राप्त करने व दिनांक 24.03.2022 को फोती इंतकाल की नकल लेने पर प्रतिवादीगण द्वारा नाम दुरुस्त नहीं करने के कारण उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वादनी का नाम जोध्याबाई पत्नि स्व0 श्याम के स्थान पर अयोध्याबाई पत्नि नेमीचंद बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल दरामद किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 द्वारा उपस्थित होकर जर्ये वकील श्री धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा इकबाली जवाब दावा एवं वकालतनामा पेश कर वादनी की नाम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति न होना जाहिर किया।

बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में इकबाली जवाबदावा पेश हो चुका है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादनी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरस्त उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इकबाली जवाब दावा जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम झाडोल हलका गणेशगंज तहसील पीपल्दा, ख.न. 1100/141 ख.न. 0.09,1102/716 रकबा 0.12 है0,ख.न.378 रकबा 0.62 है0,ख.न. 494 रकबा 0.41 है0 ख.न.601 रकबा 0.09है0,ख.न.602 रकबा 1.22 है0ख.न.603 रकबा 1.05 है0,ख.न. 715 रकबा 0.72 है0ख.न.775 रकबा 0.92 है0 ख.न. 775/976 रकबा 0.26 है0 कुल किता 10 रकबा 5.50 है0भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से इकबाली जवाब दावा पेश किया हुआ है। उक्त विवेचन के आधार पर वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम झाडोल हलका गणेशगंज तहसील पीपल्दा, ख.न. 1100/141 ख.न. 0.09,1102/716 रकबा 0.12 है0,ख.न.378 रकबा 0.62 है0,ख.न. 494 रकबा 0.41 है0 ख.न.601 रकबा 0.09है0,ख.न.602 रकबा 1.22 है0ख.न.603 रकबा 1.05 है0,ख.न. 715 रकबा 0.72 है0ख.न.775 रकबा 0.92 है0 ख.न. 775/976 रकबा 0.26 है0 कुल किता 10 रकबा 5.50 है0भूमि मे वादीनी का नाम जोध्याबाई पत्नि स्व0 श्याम के स्थान पर अयोध्याबाई पत्नि नेमीचन्द बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् पर यदि रहन भार है तो यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

"1"

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23/20	2.05.2022	31/01/2023

बउनवान

अयोध्याबाई पत्नि नेमीचन्द जाति मीना निवासी झाडोली तहसील पीपल्दा

– वादीनी

बनाम

1– कालीबाई पत्नि स्व.केसरा
2– मोडूलाल पुत्र केसरा
3– रमेंश पुत्र केसरा
4– रामस्वरूप पुत्र केसरा
5– हेमराज पुत्र केसरा जातियान मीना निवासीगण झाडोल तह0 पीपल्दा।
6– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट

मनोज शर्मा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ~~पुष्पेन्द्र सिंह खडा~~ एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम झाडोल हलका गणेशगंज तहसील पीपल्दा, ख.न. 1100/141 ख.न. 0.09,1102/716 रकबा 0.12 है0,ख.न.378 रकबा 0.62 है0,ख.न. 494 रकबा 0.41 है0 ख.न.601 रकबा 0.09है0,ख.न.602 रकबा 1.22 है0ख.न.603 रकबा 1.05 है0,ख.न. 715 रकबा 0.72 है0ख.न.775 रकबा 0.92 है0 ख.न. 775/976 रकबा 0.26 है0 कुल किता 10 रकबा 5.50 है0भूमि मे वादीनी का नाम जोध्याबाई पत्नि स्व0 श्याम के स्थान पर अयोध्याबाई पत्नि नेमीचन्द बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जाती है। विवादित आराजीयात् पर यदि रहन भार है तो यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक ....31/01/2023 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा